P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

झारखण्ड में ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के विकास की ओर सरकारी प्रयास

रूबी कुमारी
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग, झारखण्ड,
भारत

अजय बहादुर सिंह
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग, झारखण्ड,
भारत

सारांश

झारखण्ड राज्य में बिना महिला सशक्तीकरण के ग्राम विकास का सपना अधूरा है। भारत में 15 नवम्बर 2002 को गठित झारखण्ड राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 3.29 करोड़ है जिसमें महिलाएं लगभग 48 प्रतिशत है। महिलाएं ग्राम विकास हो या पूरे समाज का विकास बदलाव की धूरी है। महिला सशक्तीकरण का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक महिला का समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक सभी वे अधिकार समान रूप से प्राप्त हो जो पुरुषों को दिए गए है।

झारखण्ड राज्य के महिलाओं के विकास और जागरूकता के लिए सरकारी और कई स्वैच्छिक संस्थानों के द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएँ वर्तमान समय में ग्राम विकास की एक मजबूत कड़ी और मार्गदर्शक है। ग्रामीण इलाके में स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाएँ अन्य महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति सबको प्रेरित करने के साथ–साथ ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही है। इसके अलावा झारखण्ड सरकार के द्वारा महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजना जिसमें बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री लाडली योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, सबला योजना, मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, स्वाधार योजना, स्टेप कार्यक्रम योजना, अल्पावधि प्रवास गृह योजना कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना लिंग आधारित बजट, महिला ई–हाट योजना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति केन्द्र की स्थापना, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार की व्यवस्था की गई है।

झारखण्ड सरकार ने महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जमीन रजिस्ट्री में केवल 1 रुपये से करने की सुविधा प्रदान की है। इतना ही नहीं झारखण्ड सरकार ने दीनदयाल अन्त्योदय योजना के माध्यम से सखी मंडल का निर्माण करवाकर महिलाओं को एकजुट करके समृद्ध परिवार बनाने की कोशिश की है। वर्तमान में एक लाख सखी मंडल का निर्माण हो चुका है जिससे 13 लाख लोग लगभग इससे जुड़ चुके हैं। ग्रामीण इलाके में आजीविकी दीदी कैन्टीन राज्य भर में चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को इस प्रकार जागरूक होने के कारण कई ऐसी महिलाएँ अपने कार्यों से आज अपने समाज ही नहीं पूरे भारत में अपनी पहचान बना रही हैं जिसकी कुछ प्रमुख महिलाएँ है जिसमें निक्की प्रधान हैं जो हेसेल गाँव के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होते हए भी ओलम्पिक में हिस्सा लिया। गुमला जिला की ममता नाम की महिला ने बाल–विवाह जैसी कुप्रथा का जमकर विरोध किया। लातेहार जिला की नीलू ने शिक्षा के महत्व को उजागर करते हुए बालूमाथ पंचायत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से 2 किलोमीटर स्कूल में दाखिला लेकर वहाँ की लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया इसके अलावा झारखण्ड सरकार द्वारा कस्तूरबा विद्यालयों में छठी से दसवीं कक्षा तक मुफ्त आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गई। झारखण्ड सरकार ग्रामीण महिलाओं के लिए खाद्य, स्वास्थ्य पोषण, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता शिक्षा, अवैध देह व्यापार एवं बलात्कार पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा तथा जीवन–यापन करने के लिए अन्य सुविधा प्रदान कर रही है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, जागरूकता, शिक्षा, एकजुटता, स्वरोजगार

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में ग्रामीण विकास की बात हो या महिलाओं के विकास की बात, इस राज्य ने इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए है। 2011 की

जनगणना के आधार पर झारखण्ड राज्य में कुल साक्षरता दर 66.41 में पुरुषों की 76.84 एवं महिलाओं की 66.42 प्रतिशत है।[1]

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार कानूनी दृष्टि से संविधान और संशोधन हर माध्यम से महिलाओं का साथ दे रही है। महिलाओं के लिए सती प्रथा अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2005, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 सभी के द्वारा महिलाओं के साथ है। महिलाओं से संबंधित कम से कम पर महिला विशिष्ट अधिनियम बनाए गए है। जिसके द्वारा महिलाओं को कानूनी शिक्षा प्रदान की जाती है।[2]

झारखण्ड राज्य में लिंग बजट को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रस्तुत किया जिसके तहत 40 प्रतिशत से अधिक 11 विभागों में महिलाओं के उत्थान के ऊपर खर्च करने का निर्णय लिया गया। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'शक्ति एप' लॉन्च किया गया। जिसके द्वारा मुसीबत में फंसी महिलाओं के सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। रांची के रिनपास में महिलाओं के लिए बस स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई। राज्य में पशुधन को आगे बढ़ाने के लिए बीपीएल परिवार की महिलाओं को गाय दी गयी। 50 हजार महिलाओं को इसका लाभ मिला। 90 फीसदी सब्सिडी से दो गायें दी गयी।[3]

झारखण्ड में ग्रामीण महिलाओं और शहरी महिलाओं सभी को सशक्त करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिल–जुलकर महत्वपूर्ण योजनाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू कर महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ इस प्रकार है–

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं

यह योजना सर्वप्रथम 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के गिरते लिंगानुपात को रोक में लोगों को जागरूक करना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं मानव संसाधन विभाग के संयुक्त पहल पर बालिकाओं के संरक्षण के लिए शुरू की गई। लगभग 161 जिलें में शुरू की जा चुकी है। इस योजना के तहत लिंग भेद की प्रक्रिया को समाप्त करना, बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं के पढ़ने के लिए शिक्षा की सुविधा को प्रदान करना है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इस योजना के सही क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय राज्य, जिला, ग्राम सभी स्तर पर निगरानी करने के लिए सचिव, मुख्य सचिव, जिला कलेक्टरों के द्वारा निगरानी रखी जाएगी।[4]

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

यह योजना मई 2016 को उत्तरप्रदेश के बलिया जिले में लॉन्च किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों को दिया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो परिवार बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उन्हें इस योजना के तहत मुफ्त एलपीजी गैस दी जाती है। इस योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवार को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के कारण शुद्ध ईंधन के प्रयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार वातावरण कम प्रदूषित और छोटे बच्चे में स्वास्थ्य समस्या में छुटकारा मिलेगा।[5]

स्वाधार घर योजना

यह योजना 2001–02 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, बेघर, रिहा कैदी, वेश्यावृति, बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा उन्हें अपने जीवन–यापन कर सकने के लिए व्यावसयिक शिक्षा दी जाती है। यह योजना समाज कल्याण, महिला विकास निगम, सार्वजनिक ट्रस्टों, स्वैच्छिक संगठनों, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित है।[6]

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना

यह योजना 2004 में प्रारंभ हुई। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को साक्षर करने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र और राज्य क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का योगदान देते हैं। इस योजना के तहत अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के जरिए प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराया गया तथा एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली जाति या समुदायों के बालिकाओं की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस योजना के अंतर्गत 10वीं योजना में 500–750 के बीच आवासीय विद्यालय प्रति स्कूल 19.05 लाख रुपये के आवर्ती लागत और 26.25 रुपये अनावर्ती लागत पर खोला गया।[7]

अल्पावधि प्रवास गृह

यह योजना 1969 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद 1999 से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने इसका कार्यभार संभाला। इसका मुख्य उद्देश्य, सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक विवाद, आर्थिक, स्वावानात्मक नैतिक पतन से जुड़ी महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर पुर्नवास की व्यवस्था करना है।[8]

महिला ई–हाट

महिलाओं का ई–हाट एक दिलचस्प ऑनलाईन मंच है जहाँ महिलाएँ स्वयं द्वारा बनाए गए सामानों को प्रदर्शित करना है। यह महिलाओं को सशक्त करने का पहला चरण है। दूसरा चरण कॉमर्स पार्टल के साथ जुड़ना है जिससे व्यापार और वाणिज्य को एक नया मंच मिलेगा, जो व्यापार और वाणिज्य का संस्थागत और व्यापक बनायेगा।[9]

परिवार परामर्श केन्द्र

यह योजना 1983 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवाद, साामजिक बहिष्कार, अत्याचार, रेफरल और पुर्नवास सेवाओं द्वारा महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना है। परिवार परामर्श केन्द्र, पुलिस स्थानीय प्रशासन, न्यायालय निःशुल्क कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण अल्पावास गृह आदि के सहयोग से कार्य करते हैं।[10]

महिलाओं के लिए शक्ति केन्द्र

यह योजना नवम्बर 2017 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 2020 तक देश के 640 जिलों को जिला स्तरीय केन्द्र के माध्यम से कवर करना था। इसके द्वारा गाँव, प्रखण्ड और राज्य स्तर के बीच के कड़ी के रूप में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं जैसी योजनाओं को जिला स्तर पर मजबूत करना है।

स्त्री शक्ति पुरस्कार

यह योजना 1997 में प्रारंभ की गई। इसके तहत असाधारण उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो कठिन परिस्थितियों में हिम्मत की भावना से आगे बढ़ निजी या पेशेवर जीवन में साहस का परिचय देती है। यह भारत का राष्ट्रीय सम्मान है। यह पुरस्कार महिलाओं को सशक्त करने की पहचान बनाता है।[11]

सुकन्या योजना

यह योजना मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का बदला हुआ रूप है। यह योजना 15 नवम्बर 2011 को झारखण्ड स्थापना दिवस से सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया। इस योजना के तहत झारखण्ड राज्य के प्रत्येक परिवार प्रथम प्रसव तथा द्वितीय प्रसव दोनों से उत्पन्न पुत्री के नाम से जन्म वर्ष से लेकर अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 6000/– रुपये की दर से 5 वर्षों में 30,000 रुपये डाक जमा योजना के माध्यम से सरकार द्वारा विनियोग किया जायेगा।[12]

मातृत्व सहयोग योजना

यह योजना 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती को, स्तनपान कराने वाली माताओं के पहले दो बच्चों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना वर्तमान समय में 53 जिलों में लागू की जा रही है। इस योजना के तहत गर्भवती स्त्रियों को नकद प्रोत्साहन राशि जिसमें पहली किस्त 6000 रुपये 7–9 महीने और दूसरी किस्त 6 महीने बाद बैंक या डाक घर द्वारा दी जा रही है।[13]

किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (सबला)

इस योजना की शुरूआत 01 अप्रैल 2011 को की गई। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देख–रेख में चलाया जा रहा है। इस योजना के द्वारा भारत में 200 जिलों में चयनित 11–18 आयु वर्ग की बालिकाओं के देखभाल के लिए समेकित बाल विकास परियोजना चलाई जा रही है। वर्ष 2011 में यह योजना 200 जिलों में लागू हुई। उसके बाद 2017 तक इसमें बढ़ोतरी होकर 203 जिलों तक इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी देना है। इसके साथ ही बालिकाओं को युवा अवस्था में स्वच्छता, प्रजनन तंत्र, पोषण तथा यौन स्वास्थ्य, एडोलसेट, सेक्सुअल हेल्ट की जानकारी देना है। इसे अलावा महिलाओं को संशक्त करने के लिए प्राइमरी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केअर, डाक–घर, बैंक आदि के विषय में जानकारी देना है। इसके तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए किट दी जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य

महिला सशक्तीकरण एवं उन्नयन के लिए महिलाएँ जिस परिवेश में रहती है, वहाँ के सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं तथा समाज में व्याप्त उनके शोषण करने वाली कुप्रथाओं का तथा उसके समाधान के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी कार्यक्रमों एवं गैर सरकारी प्रयासों का अध्ययन करना ही इस शोध लेख का उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

भारत में महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई योजनाएँ के विकास की ओर सहयोग प्रदान कर रही है। इस बात की विवेचना को कुरूक्षेत्र मार्च 2017 पृष्ट संख्या–5–7 में इसका उल्लेख किया गया जिसमें महिलाओं के केन्द्र और राज्य द्वारा अपनाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही झारखण्ड के बढ़ते कदम 2017, पृष्ठ संख्या–26 से 36 तक में झारखण्ड राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्टॉप सेंटर के बारे में तथा आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद पशुधन के जरिए दिए गए सुविधा के रूप में उल्लेख हुआ। इसके साथ ही भारत के सभी महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएँ बनी जो झारखण्ड राज्य में भी लागू है।

शोध पद्धति

प्रस्तावित शोध लेख में झारखण्ड के ऐतिहासिक राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया गया है तथा ग्रामीण महिलाओं की यथार्थ स्थिति के अध्ययन के लिए आनुभाविक पद्धति का सहारा लिया गया है। इस शोध लेख को तैयार करने के लिए दो स्रोतों प्राथमिक और द्वितीयक प्राप्त सामग्री तथा तथ्यों का प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार इस शोध प्रारूप की पद्धति ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आनुभाविक होगी।

अध्ययन क्षेत्र

मैंने अपने इस शोध लेख में झारखण्ड राज्य में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए अपनाई गई योजनाओं के बारे में उल्लेख किया है।

निष्कर्ष

उपयुक्त विवेचना के बाद हम यह कह सकते हैं कि झारखण्ड राज्य के हर क्षेत्र से जुड़ी महिलाएँ महिला सशक्तीकरण की ओर निरंतर बढ़ रही है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के ओर ध्यान देने पर हमने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 2 करोड़ एल०पी०जी० गैस का वितरण हुआ। मातृत्व मैटरनिटी बिल के तहत 26 सप्ताह का अवकाश गर्भवती महिला को और 6000 रुपये की आर्थिक मदद की व्यवस्था की गई। कौशल विकास योजना के तहत 70 प्रतिशत लोन महिला उद्यमियों को दिया गया।

सुकन्या समृद्धि योजना तहत 10 अकाउन्ट पूरे भारत में खोले जा चुके हैं 13 सितम्बर 2018 को मातृत्व सहयोग योजना के तहत 48.11 लाख महिलाओं का नामांकन कराया या जिसमें 37.30 लाख महिलाओं का मातृत्व लाभ का भुगतान कर दिया गया। अतः हम इन सब आंकड़ों को तथा ग्रामीण महिलाओं में निरंतर सशक्त होने की भावना को इन सब कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें जागरूक कर सकते हैं।

पाद टिप्पणी

1. *https : www.bhaskar.com*
2. *कुरूक्षेत्र मार्च 2017, पृ० 5–7*
3. *झारखण्ड के बढ़ते कदम नवम्बर 2017, पृ० 26–36*
4. *hi.vikaspedia.in*
5. *https : //m.ecomictimes.com*
6. *https://hi.m.wikipedia.in*
7. *nari. nic.in*
8. *समाजशास्त्र, कुमार, धमेन्द्र, पृ० 272*
9. *https ://blog.mygov.in*
10. *hi.vikaspedia.in*
11. *https://hi.m.wikipedia.org*
12. *hi.vikaspedia.in*
13. *https://hi.m.wikivikaspedia.org*